न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 96/2018

उनवान

1. सांवरा पुत्र कज्जा कुम्हार मृतक जरियें वारिस
1/1. गिरधारीलाल पुत्र सांवरा मृतक जरियें वारिस
1/1/1. पांची पत्नी गिरधारी,
1/1/2. सीता,
1/1/3. शैतान,
1/1/4. गोपाल पि0 गिरधारी जाति कुम्हार नि0 जाटिया, अजमेर,
1/1/5. मन्जू पुत्री गिरधारी पत्नी अरविन्द कुमार जाति कुम्हार नि0 खानपुरा, अजमेर, 2.
2. गोविन्दराम पुत्र सांवरा जातिकुम्हार नि0 जाटिया, अजमेर,
3. ओमप्रकाश पुत्र सांवरा जाति कुमहार मृतक जरियें वारिस
3/1. गुमानी देवी पत्नी ओमप्रकाश,
3/2. त्रिलोक,
3/3. राकेश पि0 ओमप्रकाश जाति कुम्हार नि. जाटिया, अजमेर,
3/4. लक्ष्मीदेवी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी गंगाविष्णु कुम्हार नि. किटाप अजमेर,
4. गीता पुत्री सांवरा पत्नी गणपत जाति कुम्हार नि. किशनपुरा अजमेर,
5. सायरी पुत्री सांवरा पत्नी छगना कुम्हार नि. लोहरवाडा, नसीराबाद,

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री गोतम टांक

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 22.7.24

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी प.म. बैवंजा के चौसाला खसरा नम्बर 336 रकबा 6–05–00 की आराजी खेवट खतौनी 136 के कालॅम संख्या 3 में खातेदार के कॉलम में सांवरा पुत्र कज्जा के अवस्थित रही थी। बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 471/1959 रकबा 0.27 को सिवायचक दर्ज कर दिया है। प्रार्थीगण के पिता क नाम हटा दिया है। उक्त आराजी को प्रार्थीगण के नाम [illegible] करने के लिये वाद पेश किया गया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अनवरत चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक हाने के कारण प्रार्थी के जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पसंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने मल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 336 रकबा 6–5–0 सांवरा पुत्र कज्जा के नाम सहवन से दर्ज कर दी गयी थी, जिस कारण बदर संख्या 7 से उक्त आराजी सिचायचक दर्ज की गयी है। बदर सूची बाबत तथ्य वाद में अंकित नही किये है। चौसाला खसरा नमबर की स्थिति स्पष्ट नही की है। अतः वाद सव्यय खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 336 रकबा 6–5–0 वंर्किग जमाबंदी में खाता संख्या 136 में सांवरा पुत्र कजा के नाम दर्ज थी। उक्त खाते में बदर नम्बर 7 से वंर्किग खसरा नम्बर 336 सिवायचक दर्ज होने का अंकन है। इसी कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवाचक दर्ज है। प्रार्थी द्वार आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही की है। प्रार्थी द्वारा अपने वाद व प्रार्थना पत्र में बदर बाबत कोई तथ्य भी अंकित नही किये है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा सिवायचक है। प्रार्थी की खातेदारी में होने का कोई दस्तावेज नही है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा भी सिद्व नही हेता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा सिवायचक है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर हक व अधिकार सिद्व नही होता है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्यों का निर्धारण गुणावगुण पर मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम ग्राम दिलवाडी की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 470/2145 रकबा 0.74 व 471/1959 रकबा 0.27 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

खण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested